न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 101 / 11 GCMS id : 2011 / 00032

1. महेश कुमार आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति सिन्धी, निवासी मकान नम्बर 3–एम–12,13 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा
2. दौलतराम लालवानी आत्मज परमानन्द, जाति सिन्धी, निवासी मकान नम्बर 53–ए, आर.के.पुरम, कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा
2. राजस्थान राज्य जयै तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 01.10.2021

उपस्थिति : श्री तेजमल जैन, वादी अभिभाषक

1. वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।
2. वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –
   - ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी क्रम–1 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 575 / 519 रकबा 2.40 हैक्टर एवं एवं वादी क्रम–2 की आराजी खसरा नम्बर 574 / 519 रकबा 2.40 हैक्टर स्थित है।
   - दिनांक 15.07.2014 को नगर विकास न्यास, कोटा के कर्मचारी वादी की आराजी पर आये तथा भूमि को नापने लगे, जिस पर वादी ने पुछा तो उन्होने कहा कि यह जमीन नगर विकास न्यास, कोटा की है तथा इस पर निर्माण कार्य करवाया जावेगा। वादी ने अपने खातेदारी का प्रमाण भी बता दिया किन्तु बावजूद इसके नगर विकास न्यास, कोटा वादी की खातेदारी की भूमि में निर्माण कार्य करवादी को बेदखल करने पर आमादा है।
   - अतः प्रार्थना है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर, वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्रम–1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वह ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 575 / 519 एवं खसरा नम्बर 574 / 519 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, कब्जा नहीं करें तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व

Mahesh.Kr.UIT

गज़ामहत न तो स्वयं करे और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

3. दौरान वाद, तहसीलदार (भूअभि.), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से न्यायालय में विनिमय आदेश क्रमांक भूअभि./2021/2519–2523 दिनांक 22.03.2021 पेश हुआ जिसके अनुसार –

- वादी की ओर से विनिमय प्रार्थना पत्र पेश होने पर, पटवारी हल्का धर्मपुरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 575/519 रकबा 2.40 हैक्टर वादी क्रम–1 के खाते एवं आराजी खसरा नम्बर 574/519 रकबा 2.40 हैक्टर वादी क्रम–2 के खाते दर्ज, दर्ज है तथा ग्राम रानपुर की आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 11.50 हैक्टर नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज रेकार्ड है।
- उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से समान दूरी पर स्थित है।
- अतः विनिमय प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट पटवारी के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत विनिमय प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
- अतः ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की वादीगण के खाते दर्ज आराजी खसरा नम्बर 574/519 एवं 575/519 कुल किता 2 रकबा 4.80 हैक्टर का नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज ग्राम रानपुर की आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 11.50 हैक्टर में से 4.80 हैक्टर का विनिमय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- सम्बन्धित पटवारी हल्का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम कर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से नामान्तरकरण निर्णित कराये।

4. उपरोक्तानुसार पेश किये गये विनिमय आदेश से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी की ओर से चाहा गया अनुतोष का रकबा प्राप्त हो चुका है। उक्त आदेशानुसार किया गया विनिमय वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर किया गया है। अतः वादी की ओर से पेश गये मूल वाद का अनुतोष प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। अतः वाद वादी इसी स्तर पर (Drop) समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस आदेश के प्रभाव से प्रकरण की विवादित आराजी पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिवस से स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 01.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Parth

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.</u>

1. महेश कुमार आत्मज श्री कन्हैयालाल, जाति सिन्धी, निवासी मकान नम्बर 3–एम–12,13 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा
2. दौलतराम लालवानी आत्मज परमानन्द, जाति सिन्धी, निवासी मकान नम्बर 53–ए, आर.के. पुरम, कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 101 / 11 GCMS id : 2011 / 00032
निर्णय दिनांक : 30-09-2021

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री तेजमल जैन एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री रामकल्याण की उपस्थिति में वादपत्र के विरुद्ध पेश विनिमय प्रार्थना पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख <u>01–10–2021</u> को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी <u>सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस.</u> के समक्ष पेश होने पर तहसीलदार (भू.अभि.), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से न्यायालय में विनिमय आदेश क्रमांक भू.अभि./2021/2519–2523 दिनांक 22.03.2021 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक भू.अभि./2021/2514–2518 दिनांक 22.03.2021 के अनुसार ग्राम धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 574/519 एवं 575/519 कुल किता 2 रकबा 4.80 हैक्टर का नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज ग्राम रानपुर की आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 11.50 हैक्टर में से 4.80 हैक्टर का विनिमय हो जाने से वाद वादी इसी स्तर पर (Drop) समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस आदेश के प्रभाव से प्रकरण की विवादित आराजी पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिवस से स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 01 अक्टूबर, 2021 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रुपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड़			जोड़		

Mahesh.Kr.UIT